कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com visit:-www.nagarnigamrudrapur.com
(दूरभाष– 05944–242400 फैक्स–05944–243316)

पत्रांक:– 634 /कर अनु0/2025–26

दिनांक– 03/06/2025

"निविदा सूचना"

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर द्वारा पुनः निम्नलिखित ई–निविदायें आमंत्रित की जाती है।

क्र सं	कार्य का नाम	निविदा की तिथियाँ	निविदा खोलने की तिथि व समय	जानकारी हेतु कक्ष/अनुभाग
1.	डिवाईडरों के सौन्दर्यीकरण रखरखाव व अनुरक्षण किये जाने मे नये ग्लो पोल ट्री गार्ड लगाये जाने हेतु निविदा	दि0 10.6.25 के 11:00 AM बजे से दि0 24.6.25 के 12:00 PM बजे तक	दि0 24.6.25 के 3:00 PM बजे	कक्ष सं0 08
2.	सार्वजनिक शौचालयों में विज्ञापन होर्डिंग लगाये जाने हेतु निविदा			
3.	ई–रिक्शा, रिक्शा, हाथ ठेला, बस एवं ट्राली/पानी टेंकर के ट्रेड लाईसेंस नगर सेवा पोर्टल के माध्यम से नवीनीकरण/बनवायें जाने हेतु			

उपरोक्त निविदा की शर्ते व नियम नगर निगम की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com पर भी देखी जा सकती हैं।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

महापौर
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर (ऊधमसिंहनगर)

e-mail:-nagarnigamrudrapur@gmail.com visit:-www.nagarnigamrudrapur.com
(दूरभाष– 05944–242400 फैक्स–05944–243316)

पत्रांक:– /कर अनु0/2025–26

दिनांक–

प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित–

1. कार्यालय जिलाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
2. कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
3. कार्यालय मुख्य कोषाधिकारी, ऊधमसिंह नगर।
4. सम्पादक अमर उजाला एवं दैनिक जागरण को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को अपने दैनिक समाचार पत्र में दिनांक 10.6.25 के **अंक में न्यूनतम दरों में पठनीय भाग में प्रकाशित किये जाने** एवं उक्त समाचार पत्र की दो प्रतियों सहित बिल भुगतान हेतु इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।
5. श्री सुमित कुमार, कनिष्ठ सहायक सह डा.इ.आ. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निविदा सूचना, निविदा शर्तें नगर निगम, रूद्रपुर की वेबसाइट www.nagarnigamrudrapur.com में अपलोड करना एवं निश्चित तिथि को निविदा कमेटी के समक्ष टैण्डर खोलना सुनिश्चित करें।
6. कार्यालय नगर निगम, रूद्रपुर ऊधमसिंह नगर के सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।

नगर आयुक्त
नगर निगम, रूद्रपुर
ऊधमसिंह नगर

उत्तराखण्ड नगर निगम (विज्ञापन अनुज्ञा एवं विज्ञापन पर कर का निर्धारण और वसूली) नियमावली 2015 के अनुपालन में –नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत सार्वजनिक शौचालयों पर होर्डिंग लगाने जाने हेतु निविदा (2025–27) की शर्तें एवं प्रावधानः–

1. सार्वजनिक शौचालयों पर विज्ञापन लगवाने हेतु ठेके की अवधि कार्यादेश जारी होने की तिथि से 02 वर्ष तक के लिये मान्य होगी।
2. नगर निगम द्वारा निविदा हेतु न्यूनतम बोली की धनराशि रू0 2,22,000.00 (रू0 दो लाख बाईस हजार मात्र) 02 वर्ष तक के लिय निर्धारित है।
3. उच्चतम निविदादाता की दरें (ठेका) स्वीकृत होने के 03 (तीन) दिवस के अन्दर नियमानुसार अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही स्वयं के व्यय पर पूर्ण करनी होगी, जिस हेतु निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर (निविदा राशि का 03 प्रतिशत) नगर निगम कार्यालय में प्रस्तुत करने होगें। ठेकेदार को कार्यादेश अनुबन्ध एवं रजिस्ट्रेशन की कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त ही दिया जायेगा। स्टाम्प शुल्क, महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून के समय–समय पर हुए आदेशों के अन्तर्गत ठेके की राशि के 03 प्रतिशत की दर से देय होगा।
4. तकनीकी निविदा के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड, जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, एवं किन्ही 05 वर्षो में से (वर्ष 2019–20, 2020–21, 2021–22, 2022–24, 2024–25) किन्ही 03 वर्षो का प्रत्येक वर्ष का का आयकर रिटर्न संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा सक्षम प्राधिकारी (जिलाधिकारी अथवा उपजिलाधिकारी) या सी0ए0 द्वारा निर्गत नवीनतम हैसियत प्रमाण/Net Worth प्रमाण पत्र (दोनों ही मान्य) मूल प्रति सलंग्न करना अनिवार्य होगा। हैसियत प्रमाण पत्र 06 माह से अधिक पुराना होने की दशा में निविदा दाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसके द्वारा उक्त अवधि में अपनी सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द नहीं किया गया हैं, निविदा के साथ निविदा प्रपत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित निविदा नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना अनिवार्य होगा अन्यथा की दशा में निविदा दाता की निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
5. निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तावित निविदा धनराशि की 10 प्रतिशत (22,200.00) धनराशि जो कि नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर के नाम बन्धक हो, प्रतिभूति के रूप में एन0एस0सी0/एफ0डी0आर0 के रूप में संलग्न करना अनिवार्य है, जिसे निविदा के साथ मूलरूप में नगर निगम कार्यालय में रखे गये निविदा बॉक्स में जमा कराना होगा।
6. तकनीकी निविदा स्वीकृत होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेंगी।
7. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने पर कुल प्रस्तावित निविदा धनराशि की 50 प्रतिशत धनराशि तथा 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 की धनराशि सहित निविदा स्वीकृति के 03 दिन के भीतर जमा करनी होगी तथा अवशेष 50 प्रतिशत धनराशि जी0एस0टी0 सहित 06 माह के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदादाता जिसकी निविदा स्वीकृत हुई हो, की अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, साथ ही धरोहर/प्रतिभूति

राशि यदि कोई हो तो जब्त कर दी जायेगी तथा द्वितीय बोलीदाता (H2) को उतनी ही धनराशि पर कार्य करने की कार्यवाही की जायेगी।

8. अपरिहार्य कारणों से यदि ससमय निविदा न हो पाने की दशा में निविदा धनराशि में 10 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि करते हुए समयावृद्धि किये जाने हेतु बोर्ड/समिति का निर्णय अंतिम होगा।

9. किसी भी निविदा दाता को ब्लैक लिस्टेड होने पर निविदा में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। **"निविदादाता इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह ब्लैक लिस्ट नहीं है तथा उसके नाम पर किसी भी सरकारी विभाग/स्वायत्त निकाय/संस्था में देनदारी नहीं हैं"।**

10. भविष्य में यातायात, जनसुविधा, सौन्दर्यीकरण की दृष्टि से उत्तराखण्ड शासन, जिला प्रशासन और न्यायालय के आदेश पर कोई भी होर्डिंग हटाने की आवश्यकता होती है, तो सम्बन्धित एजेन्सी को निर्धारित समय में होर्डिंग को हटाना होगा। इस सम्बन्ध में एजेन्सी को कोई आर्थिक क्षति होती है, तो क्षतिपूर्ति देय हेतु समिति का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

11. शौचालयों की दीवारों एवं छतों पर निर्धारित की गयी माप के अनुसार ही विज्ञापन प्रदर्शित किये जायेंगे।

12. होर्डिंग इस प्रकार लगाना होगा कि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो फिर भी यदि कोई दुर्घटना होती है, तो क्षतिपूर्ति हेतु अनुबन्धकर्ता/फर्म/ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

13. शौचालयों पर होर्डिंग सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी द्वारा अपने स्वयं के व्यय पर ही लगाये जायेंगे। नगर निगम द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में कोई भी धनराशि देय नहीं होगी।

14. शौचालयों पर लगने वाले विज्ञापनों पर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था एजेन्सी द्वारा स्वंय के व्यय पर ही की जायेगी। निविदादाता द्वारा शौचालय पर अलग से अपना मीटर लगाना होगा व विद्युत बिलों का भुगतान भी स्वंय के व्यय पर करना होगा।

15. सरकार द्वारा प्रतिबन्धित उत्पादों जैसे शराब, तम्बाकू, सिगरेट आदि के विज्ञापन एवं अश्लील विज्ञापन तथा आम जनमानस में घृणा फेलाने, साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाडाने वाले ना हो एवंम शान्ति एंव कानून व्यवस्था को बनाये रखने वाले विज्ञापन प्रकाशित किये जायेंगे।

16. किसी भी विवाद की स्थिति में नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर का निर्णय मान्य होगा, तथा ठेके के प्राविधानों के प्रवर्तन एवं प्राधिकृत समितियों तथा प्राधिकारियों द्वारा लिए गए निर्णय में विवाद होने की स्थिति में प्रभावित पक्ष द्वारा अपीलीय अधिकारी (जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर) के यहां अपील की जा सकती है।

17. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नगर आयुक्त, नगर निगम, रूद्रपुर में निहित होगा। किसी भी वाद के लिये क्षेत्राधिकार, जिला ऊधम सिंह नगर के जिला न्यायालय/न्यायालयों को होगा।

18. निविदादाता को निविदा तिथि समाप्त होने के पश्चात् ही जमानत की धनराशि वापस की जायेगी।

19. सम्बन्धित विज्ञापन एजेन्सी को समय-समय पर जारी निगम/जिला प्रशासन/मा0 न्यायालय के आदेशों का अनुपालन करना होगा।

Scanned with OKEN Scanner

20. होर्डिंग लगाने में लगे व्यक्तियों, श्रमिकों अथवा कर्मिकों का नियमानुसार पी0पी0 एफ0, बीमा, सुरक्षा उपकरणों आदि की व्यवस्था फर्म को स्वयं करनी होगी।

21. निविदादाता को अपना स्थायी/अस्थायी पता व मोबाईल व ई–मेल जिस पर उससे सम्पर्क किया जा सके देना अनिवार्य होगा व इसके परिर्वतन की दशा में उसे तत्काल विभाग को सूचित करना होगा। निविदादाता को मोबाईल पर दी गयी सूचना नोटिस की भांति ही समझी जायेगी।

22. निविदादाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई सिंडीकेट या कार्टेल या पूर्व में रजिस्टर्ड ग्रुप बनाकर निविदा की प्रक्रिया को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उसकी निविदा बिना नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा उसे भविष्य के लिये ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगा।

23. सभी होर्डिंग का फाउन्डेशन व उसका स्वरूप नगर निगम के अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता द्वारा उल्लिखित ब्यौरे के अनुसार ही रखना होगा।

24. प्रत्येक विज्ञापन पट्ट/होर्डिंग को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित धातु (स्टील) के होगें।

25. अनुज्ञा केवल उस अवधि तक ही प्रभावी होगी जिस अवधि के लिये प्रदान की गयी है। भूतल से विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई 6 मी0 से अधिक नहीं होगी।

26. ऐसी सघनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो, या जिससे किसी चालन क्रिया में विघ्न पड़ता हो, ऐसे विज्ञापन पट्ट नहीं लगाये जायेंगे तथा समय–समय पर ठेकेदार द्वारा यूनीपोल का अनुरक्षण (Maintenance) किया जायेगा।

27. सभी विज्ञापन पट्ट अवलम्बों, बंधनी, रस्सा और स्थिरक के साथ भली–भांति मरम्मत किये जाये, जो कि ढाँचागत और कलात्मक दोनों ही दृष्टिकोण से होगी, तथा उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिये रंग–रोगन किया जायेगा।

28. विज्ञापन पट्ट/होर्डिंग अनुज्ञात स्थान पर ही प्रदर्शित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे।

29. राज्य सरकार या नगर निगम, द्वारा पी0पी0पी0 मोड़ में प्रस्तावित ऐसी योजनाएँ जिनमें विज्ञापन के अधिकार भी दिये गये हो, पर यह शर्तें लागू नहीं होगी।

30. निविदादाता को उत्तराखण्ड लोक सम्पत्ति विरूपण निवारण नियमावली 2009 में विहीत प्राविधानों का अनुपालन करना भी अनिवार्य होगा।

31. यदि प्रस्तावित चिन्हित स्थलों पर अपरिहार्य कारणों से स्थल परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, तो उसके स्थान पर अनुबंधकर्ता को नया स्थल चिन्हित कर दिया जायेगा। नये स्थल चयन में समिति का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

32. निविदा खोलते समय समस्त पत्रों की मूल प्रति उपलब्ध कराना आवश्यक होगी। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

Scanned with OKEN Scanner

33. ठेका स्वीकृत होने की स्थिति में निविदा की शर्तें अनुबन्ध का भाग होगी, तथा उपरोक्त मे से किसी भी शर्त के उल्लंघन होने पर अनुबन्धकर्ता को 15 दिवस का नोटिस दिया जायेगा। नियत तिथि में उक्त समाधान न किये जाने पर प्रथम बार में रू0 5,000/- दूसरी बार में रू0 10,000/- जुर्माना व तीसरी बार में ठेके निरस्त करते हुए जमानत धनराशि जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित की जायेगी।

34. **स्क्रैप की नीलामी–** नगर निगम सीमा में अवैध रूप से विज्ञापन के लिये प्रयुक्त वस्तुओं, खम्भों, गार्टर, यूनीपोल, जाल, एंगिल, ग्रिल, घेरा, ढॉचा आदि को चाहें वह नगर निगम की सार्वजनिक भूमियों, भवन, सड़क, खड़ंजा, डिवाइडर आदि पर हो अथवा अन्य किसी सार्वजनिक अथवा व्यक्तिगत भूमि अथवा भवन पर हो या अन्य प्रकार से हो, नगर आयुक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत जब्त कर लेगा तथा स्क्रैप व कबाड़ को अधिनियम की धारा 521 के अन्तर्गत नीलामी अथवा अन्य प्रकार से विक्रय अथवा निस्तारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे।

<u>अनुज्ञा समाप्त कर दी जायेगी, यदि–</u>

(क) निविदा दरें निर्धारित अनुज्ञा शर्तो का किसी भी रूप में उल्लंघन किया जाता है।

(ख) प्रस्तावित विज्ञापन अशिष्ट, अश्लील, घृणास्पद, वीभत्स, या आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम के प्रति प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनष्टिकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने हेतु संगणित प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रिति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या मदोन्मत्ता को कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो;

(ग) प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शान्ति या प्रशान्ति में दरार उत्पन्न होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरूद्ध हो;

<u>सार्वजिनक शौचालयों में होर्डिंग लगाये जाने हेतु चयनित स्थल</u>

क्र.सं.	स्थल	साइज	
		दीवार पर	छत पर
1	अटरिया रोड सिडकुल ढाल पर (हाईटेक)	7x10	
2	गॉधी पार्क (हाईटेक)	7x16	
3	गल्ला मण्डी रोड	9x10	23x4
4	प्रिंस चौक के पास गल्ला मण्डी	9x6	
5	घास मण्डी रोड	8x6	30x4
6	बाटा चौक के पास		23x4
7	बस स्टैण्ड (भीतर)	8x14, 8x14	
8	बस स्टैण्ड (बाहर)		18x4
9	सब्जी मण्डी के पास	7x16	
10	पप्पू ढाबा के सामने ब्लॉक के मोड़ पर	6x4	

Scanned with OKEN Scanner

विज्ञापन शुल्क वसूली निविदा की निर्धारित Key Dates निम्नानुसार है:-

S.No	Schedule/ Information	Date	Time
1	Date of online publication	10.6.25	11.A.M.
2	Bid submission start date	10.6.25	11.A.M.
3	Bid submission End date	10.6.25	12.A.M.
4	offline submission of hard/ original copy of documents End Date	10.6.25	12.P.M.
5	Bid Opening Date	10.6.25	3.P.M.

(निशा दुबे)
कर एव रा0ना0मो0
नगर निगम रूद्रपुर

(पंकज बिष्ट)
कर निरीक्षक
नगर निगम रूद्रपुर

(लता आर्या)
कर अधीक्षक
नगर निगम रूद्रपुर

(जुबक मोहन सक्सैना)
वरिष्ठ वित्त अधिकारी
नगर निगम रूद्रपुर

(शिप्रा जोशी पाण्डेय)
उप नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर

(नरेश चन्द्र दुर्गापाल)
नगर आयुक्त
नगर निगम रूद्रपुर

(विकास शर्मा)
महापौर
नगर निगम रूद्रपुर

Scanned with OKEN Scanner